

दूरभाष: 26175176

फैक्स: 26162093

संख्या-15/2/2017/उ.नि.(परीक्षा)/ 4753

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,  
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 11/7/2017

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,  
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष

**विषय:- नवम्बर, 2017 में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग/पारंगत/प्रबोध परीक्षाओं का कार्यक्रम/ समय सारणी का विवरण ।**

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग,पारंगत तथा प्रबोध पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ विभाग के परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष मई माह के दूसरे/तीसरे सप्ताह एवं नवंबर माह के प्रत्येक रविवार/सोमवार में आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं। नवम्बर, 2017 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

**2. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा वहीं जमा कराए जा सकते हैं:-**

- (1) उप निदेशक (मध्योत्तर) दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू हिंदी शिक्षण योजना, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा पूर्वी खंड-7, तल-6, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
- (2) उप निदेशक (दक्षिण) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित हिंदी शिक्षण योजना, प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090
- (3) उप निदेशक (पूर्व) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार हिंदी शिक्षण योजना, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020

...2/-

- (4) उप निदेशक (पश्चिम)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
केंद्रीय सदन, सी. विंग,  
छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर,  
नवी मुंबई-400614  
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादरानगर  
हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
- (5) उप निदेशक (पूर्वतर)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,  
मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)  
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय,  
नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित  
कार्यालयों के लिए
- (6) प्रभारी सहायक निदेशक  
(पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
2-ए, पृथ्वीराज रोड,  
नई दिल्ली-110011  
केवल मई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए  
नवंबर में केवल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
- (7) उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,  
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)  
पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम,  
नई दिल्ली-110066  
केवल नवंबर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए  
मई में केवल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
3. उपर्युक्त कार्यालयों के अतिरिक्त बंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, विशाखापट्टणम, पुणे, कोचीन, पटना, कानपुर  
नगरों में स्थित हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालयों से भी आवेदन-पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और वहीं  
जमा किए जा सकते हैं।
4. सभी नियमित परीक्षार्थियों के भरे हुए परीक्षा फार्म हिंदी प्राध्यापकों द्वारा सर्वकार्य प्रभारी  
अधिकारियों/सहायक निदेशकों के माध्यम से क्षेत्रीय उप निदेशकों के कार्यालयों को निर्धारित अवधि में  
भेजे जाएंगे। उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में **परीक्षा फार्म केवल क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम  
से ही स्वीकार किए जाएंगे।** यदि कोई फार्म परीक्षा स्कंध में सीधे भेजा जाता है तो उस पर विचार  
नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय उप निदेशकों से यह अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के सभी परीक्षा फार्म  
नामिनल रोल (दो प्रतियों में) के साथ तारीख 11.09.2017 तक परीक्षा स्कंध को स्पीड पोस्ट से  
भिजवाने की व्यवस्था करें।

5. पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म प्रशिक्षार्थी अपने प्रायोजक अधिकारी के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय हिंदी निदेशालय को प्रेषित करें ताकि प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2017 तक परीक्षा स्कंध को भेजे जा सकें। पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के जो आवेदन-पत्र परीक्षा स्कंध में सीधे प्राप्त होंगे, उन्हें परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकर नहीं किया जाएगा।
6. आवेदन-पत्र अग्रेषित करने वाले अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परीक्षा फार्मों के साथ प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत तथा प्रबोध परीक्षा के नियमित, प्राइवेट और पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के नॉमिनल रोल अलग-अलग बनाकर दो प्रतियों में भेजें ।
7. केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है । भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं प्रबोध हेतु रू0-100/- परीक्षा शुल्क देय है। पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है ।
8. परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाना है जो कि उप निदेशक(परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा ।
9. परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है । ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है ।

**ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स:-**

1. सबसे पहले State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) में State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर जाएँ।

या

State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

2. State Bank Collect पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं GO को क्लिक करें ।

3. Govt.Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE  
MHA को SUBMIT करें ।

4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें । Select करते ही एक  
फार्म खुल जाएगा ।

5. इस फार्म को भरने के पश्चात Submit करें । Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण  
को Confirm कर Payment करें ।

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा) का  
कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066  
को भेजें।

- 10.(क) आवेदन-पत्र/परीक्षा फार्म पर परीक्षार्थी का नाम, पिता/पति का नाम तथा अन्य विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी द्विभाषी रूप से साफ-साफ लिखे गए हों क्योंकि परीक्षा स्कंध में परीक्षार्थी के संबंध में जानकारी का एकमात्र साधन परीक्षा फार्म ही होता है ।
- (ख) परीक्षार्थी आवेदन-पत्र में स्पष्ट उल्लेख करें कि वह प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं प्रबोध की परीक्षा किस माध्यम (नियमित, प्राइवेट, पत्राचार, ऑन लाइन व लीला) से देना चाहता है । पारंगत परीक्षा में केवल नियमित प्रशिक्षार्थी ही सम्मिलित होंगे ।
- (ग) आवेदन-पत्र भरवाते/ भेजते समय यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी का नाम, पूरा पता, परीक्षा का नाम एवं मांगा गया परीक्षा केंद्र आवेदन-पत्र तथा प्रवेश-पत्र, दोनों पर एक समान भरे गए हों ।
- (घ) एक परीक्षार्थी एक परीक्षा सत्र में केवल एक ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यदि वह परीक्षार्थी एक सत्र में एक से अधिक परीक्षाओं के लिए आवेदन-पत्र भरता है तथा उन परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो उसकी एक ही परीक्षा को मान्यता दी जाएगी, दूसरी परीक्षा को रद्द माना जाएगा।
- (ड.) हिंदी शिक्षण योजना के अर्न्तगत ऑन-लाइन परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। हिंदी शिक्षण योजना की ऑन-लाइन परीक्षाओं के परीक्षा फार्म भेजते समय उन पर स्पष्ट उल्लेख करें कि ये परीक्षार्थी ऑन-लाइन परीक्षा देंगे । ऑन-लाइन परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म/आवेदन-पत्र परीक्षा स्कंध को अलग से भिजवाएं। उन्हें सामान्य परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म के साथ शामिल (मिक्स) कदापि न करें।

11. नियमानुसार परीक्षार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है। किसी एक प्रश्न पत्र में 35 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया जाएगा।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं पारंगत परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को आगामी नवम्बर, 2017 के लिए आवेदन पत्र भरना होगा तथा अपने आवेदन-पत्र पर अपना पुराना अनुक्रमांक (मई, 2017 में हुई परीक्षा का देना होगा। अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि परीक्षार्थी किस प्रश्न-पत्र में पूरक घोषित किया गया था।

| पूरक परीक्षा |    |     |
|--------------|----|-----|
| I            | II | III |
|              |    |     |

पूरक परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र तथा नामिनल रोल इस कार्यालय को अलग से भेजें उन्हें अन्य आवेदन पत्रों के साथ मिक्स कदापि न करें। मई, 2017 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए जो परीक्षार्थी नवम्बर, 2017 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में तीनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा देनी होगी।

भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रूपए का बैंक ड्राफ्ट 'उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली' के पक्ष में भेजना होगा।

12. हिंदी भाषा के '5 दिवसीय कक्षा में पढाई के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Validation Course)' के प्रशिक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों/नामिनल रोल को भी चिह्नित करके अलग से उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।
13. अल्पवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों ने जिस केंद्र पर परीक्षा देनी है, आवेदन-पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें। इससे परीक्षा केंद्र बनाने में इस कार्यालय को सुविधा होगी। परंतु अपरिहार्य कारणों से यदि वांछित परीक्षा केंद्र का आबंटन न किया जा सका हो तो परीक्षा स्कंध द्वारा आबंटित परीक्षा केंद्र अंतिम होगा और वहीं उन्हें परीक्षा देनी होगी।
14. परीक्षा स्कंध द्वारा दिनांक 23.10.2017 तक परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी पत्र स्वीकार किए जाएंगे और केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जो परीक्षार्थी के स्थानांतरण के कारण उसके कार्यालय द्वारा अग्रपिहित किए गए होंगे।

15. नियमित एवं पत्राचार के वे कार्मिक जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे सके अथवा अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ऐसे परीक्षार्थी आगामी सत्रों की परीक्षाओं में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को यह जानकारी निश्चित रूप से प्रदान कर दी जाए कि प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उन्हें मौखिक परीक्षा भी देनी होगी ।
16. परीक्षार्थियों को आबंटित केंद्रों का विवरण तथा प्रवेश-पत्र परीक्षा के दो सप्ताह पूर्व संबंधित हिंदी प्राध्यापकों/कार्यालय प्रमुखों से उपलब्ध होगा। यदि किसी परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र तारीख 31.10.2017 तक प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने कार्यालय प्रमुख/हिंदी प्राध्यापक के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक से संपर्क स्थापित करे ।

**नवम्बर , 2017 परीक्षाओं की समय-सारणी**

| परीक्षा         | प्रश्न-पत्र | दिन    | दिनांक     | समय                  |
|-----------------|-------------|--------|------------|----------------------|
| प्रवीण          | प्रथम       | रविवार | 05.11.2017 | 10.00 से 1.00 बजे तक |
| प्रवीण          | द्वितीय     | रविवार | 05.11.2017 | 2.00 से 5.00 बजे तक  |
| प्रवीण          | मौखिक       | सोमवार | 06.11.2017 | 10.00 से 5.00 बजे तक |
| प्राज्ञ/बैंकिंग | प्रथम       | रविवार | 12.11.2017 | 10.00 से 1.00 बजे तक |
| प्राज्ञ/बैंकिंग | द्वितीय     | रविवार | 12.11.2017 | 2.00 से 5.00 बजे तक  |
| प्राज्ञ/बैंकिंग | मौखिक       | सोमवार | 13.11.2017 | 10.00 से 5.00 बजे तक |
| पारंगत          | प्रथम       | रविवार | 19.11.2017 | 10.00 से 1.00 बजे तक |
| पारंगत          | द्वितीय     | रविवार | 19.11.2017 | 2.00 से 5.00 बजे तक  |
| प्रबोध          | प्रथम       | रविवार | 26.11.2017 | 10.00 से 1.00 बजे तक |
| प्रबोध          | द्वितीय     | रविवार | 26.11.2017 | 2.00 से 5.00 बजे तक  |
| प्रबोध          | मौखिक       | सोमवार | 27.11.2017 | 10.00 से 5.00 बजे तक |

**नोट:-** सुविधानुसार मौखिक परीक्षा, परीक्षा तिथियों में भी ली जा सकती हैं।

**विशेष:-** महानगरों को छोड़कर परीक्षा केंद्र केवल उन स्थानों पर ही स्थापित किए जाएंगे जहाँ एक ही परीक्षा के लिए कम से कम 10 तथा तीनों परीक्षाओं के लिए कम से कम 30 परीक्षार्थी उपलब्ध होंगे। 10 से कम परीक्षार्थी होने पर कार्यालय की मांग के अनुसार परीक्षा केंद्र तो बनाया जा सकता है किंतु इसके लिए केंद्र अधीक्षक एवं अन्य किसी कार्मिक को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक/अन्य कोई राशि देय नहीं होगी ।

18. अनुरोध है कि परीक्षा के लिए केंद्र अधीक्षक का नाम व पता निर्धारित प्रपत्र/प्रोफार्मा में दिनांक 11.9.2017 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें, ताकि परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र, केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र, एवं परीक्षा सामग्री यथासमय भेजी जा सके।


19 कृपया परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा भवन का किराया (जहाँ परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता हो) पारिश्रमिक राशि तथा फुटकर खर्च आदि के लिए अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु अग्रिम मांग पत्र दिनांक 11.9.2017 तक इस कार्यालयको अवश्य भेज दें।

**निर्धारित प्रपत्र/प्रोफार्मा**

| परीक्षा केंद्र अधीक्षक का नाम व पूरा पता, पिन कोड, टेलीफोन/मोबाइल नंबर | परीक्षार्थियों की संख्या   | परीक्षा केंद्र का पूरा पता (पिन कोड सहित) | भुगतान हेतु केंद्र अधीक्षक के बैंक का नाम, शाखा तथा IFSC कोड संख्या |
|--|--|---|---|
|  | प्रवीण .....<br>प्राज्ञ .....<br>प्राज्ञ बैंकिंग .....<br>पारंगत.....<br>प्रबोध..... |   |   |

कृपया परीक्षा केंद्र अधीक्षक का नाम भेजते समय यह सुनिश्चित करें कि केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हों, उसी शहर में कार्यरत हों तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो। उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है।

भवदीया,

  
5.7.2017

( सुमन लाल )

उप निदेशक (परीक्षा)

कोड - cht1102